JALAUN POLICE

दिनांक– 13.08.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना आटा पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण कर लूट के माल सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 12.08.2025 को वादी श्री गौरव शुक्ला पुत्र श्री प्रताप नरायण शुक्ला निवासी ग्राम छौंक कोतवाली कालपी जनपद जालौन द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी कि नेशनल हाईवे- 27 भभुआ मजार के पास से अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ मारपीट कर रुपये लूट लेना। वादी की तहरीर के आधार पर थाना आटा में मु0अ0सं0 139/2025 धारा 309(4)/351(2)/317(2) बीएन्एस पंजीकृत किया गया था। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

दिनांक 13.08.2025 को थाना आटा पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के रोकथाम जुर्म जरायम, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व वांछित अपराधी चेकिंग के दौरान मुखबिर नें सूचना दी कि भभुआ मजार के पास से एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रुपये लूटने वाला अभियुक्त रेलवे स्टेशन आटा के बाहर कहीं जाने की फिराक मे खडा है। मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन आटा के सर्कुलेटिंग एरिया से ओम पाठक पुत्र गिरजाशंकर उर्फ राजू पाठक उम्र करीब 19 वर्ष निवासी मु0 कागजीपुरा थाना कालपी जनपद जालौन को मय लूट के रुपये सहित गिरफ्तार कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. ओम पाठक पुत्र गिरजाशंकर उर्फ राजू पाठक उम्र करीब 19 वर्ष नि0 मु0 कागजीपुरा कोत0 कालपी जनपद जालौन

अभि0 ओम पाठक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं 139/2025 धारा 309(4)/351(2)/317(2)/बीएन्एस

बरामदगी का विवरण-

1- मु0अ0सं 139/2025 धारा 309(4)/ 351(2)/317(2) बीएन्एस से सम्बन्धित लूट के रुपये

2- पल्सर मोटरसाइकिल UP-92-AR-3513 रंग काला

पुलिस टीम

1- थानाध्यक्ष आटा मय पुलिस टीम।